# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 994 / 2022
अनवान : –

1. भूपसिंह पुत्र देवीलाल जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र मंगलाराम जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र देवीलाल जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. कुमारी मूना पुत्री देवीलाल पत्नी सोनू जाति सैनी साकिन चिन्दड़ तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद।
4. सरोज कुमारी पुत्री देवीलाल जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादी**
श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **प्रतिवादी**

**निर्णय** दिनांकः 02/06/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 86 / 88 की कुल 3.2510 हैक्ट भूमि में से 5 / 44 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी न. 1, वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4 का पिता परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि प्रतिवादी न. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिये विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4 का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं। विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो प्रतिवादी न. 1 को परिवार का मुखिया होने के कारण विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4 का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है लेकिन विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए वादी विवादित भुमि में अपने 1 / 5 हिस्सा भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

प्रतिवादी न. 1 के मन में बेईमानी आ गई है वह विवादित भूमि अपने नाम दर्ज होने के कारण बिना किसी आवश्यकता के बादी को नुकसान पहुंचाने के लिए विवादित भुमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को रहन वैय एवं मुतंकिल करने की सरेआम धमकी देता है यदि प्रतिवादी न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है इसलिए वादी, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाने का अधिकारी है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के दादा चिमना की निकाली हुई है। प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी को कोई अधिकार नही है क्योकि प्रतिवादी स0 1 को उक्त भूमि डिक्री के जरिये प्राप्त हुई है एवं अपने दादा से 1/11 हिस्सा भूमि तथा शेष भूमि प्रतिवादी को अपनी बहिनों से प्राप्त हुई है जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुआ है अर्थात प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु खानदान परिवार के सदस्य है प्रतिवादी न. 1, वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4 का पिता परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान है विवादित भूमि प्रतिवादी न. 1 को विरास्तन प्राप्त हुई है इसलिये विवादित भूमि पैतृकि जदी जायदाद है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4 का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त करते एवं रकम राज अदा करते आ रहे हैं। विवादित भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो प्रतिवादी न. 1 को परिवार का मुखिया होने के कारण विरास्तन प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी न. 2 ता 4 का जन्म से ही विवादित भूमि में अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है लेकिन विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिए वादी विवादित भुमि में अपने 1/5 हिस्सा भूमि की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 के दादा चिमना की निकाली हुई है। प्रतिवादी स0 1 के जीवनकाल में किसी को कोई अधिकार नही है क्योकि प्रतिवादी स0 1 को उक्त भूमि डिक्री के जरिये प्राप्त हुई है एवं अपने दादा से 1/11 हिस्सा भूमि तथा शेष भूमि प्रतिवादी को अपनी बहिनों से प्राप्त हुई है जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुआ है अर्थात प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि है। वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
जोहर

साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया एवं जमाबंदी जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग सम्वत 2029 ता 2038 ईएक्सपी–1, रोही मौजा चक 22 एनटीआर तहसील नोहर खाता स0 86 ईएक्सपी–2 पेश किये।

साक्ष्य प्रतिवादी में देवीलाल ने अपने बयान लेखबद्ध करवाये। निर्णय दिनांक 07.11.2016 ईएक्सडी–1, प्रमाणित पर्चा डिक्री ईएक्सडी–2 प्रमाणित अर्जीदावा ईएक्सडी–3, प्रमाण शपथ पत्र ईएक्सडी–4, प्रमाणित संशोधित पर्चा डिक्री ईएक्सडी–5 दस्तावेज पेश किये।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 86/88 की कुल 3.2510 हैक्ट भूमि में से 5/44 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है प्रतिवादी का कथन है कि उक्त भूमि प्रतिवादी को जरिये डिक्री व दस्तबरदारी से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 07.11.2016 अनवानी देवीलाल बनाम मंगलाराम प्रकरण स0 288/2012 के मुताबिक देवीलाल को उक्त उक्त भूमि जरिये डिक्री प्राप्त हुई है देवीलाल द्वारा पैतृक सम्पति में ही अपने हकों की घोषणा करवायी गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है अत प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में वादी अपने हकों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 86/88 की कुल 3.2510 हैक्ट भूमि में से 5/44 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....02/06/26...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)

**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**
**एवं सहायक कलक्टर**
**नोहर**

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 994 / 2022

अनवान : –

1. भूपसिंह पुत्र देवीलाल जाति सैनी निवासी 23 एनटीआर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. देवीलाल पुत्र मंगलाराम जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र देवीलाल जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर तहसील नोहर।
3. कुमारी मूना पुत्री देवीलाल पत्नी सोनू जाति सैनी साकिन चिन्दड़ तहसील फतेहाबाद जिला फतेहाबाद।
4. सरोज कुमारी पुत्री देवीलाल जाति सैनी साकिन 23 एनटीआर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 994 सन 2022 निर्णय दिनांक** 02/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं वकील प्रतिवादी श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 22 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–79 के खाता स0 86 / 88 की कुल 3.2510 हैक्ट भूमि में से 5 / 44 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....02/06/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर